यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 07 सन 2019
अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र चानणराम जाति सुनार निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

सायल

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 19/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 11/12 के प0न0 338/440(61) के किला न0 2 ता 9 की 1.1250हैक नहरी भूमि है।

सायल के नाम से राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि नहरी दर्ज थी मौका पर नहरी भूमि है जिसमें सिचाई पानी लगता है एवं सिचाई विभाग में भी उक्त भूमि नहरी दर्ज है।

पर्चा खर्तानी में वाद भूमि नहरी दर्ज है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सहवन से वाद भूमि बारानी दर्ज है जिससे सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है सायल राजस्व रिकार्ड वर्तमान में वाद भूमि जो बारानी दर्ज है को संशोधन करवाकर नहरी दर्ज करवाना चाहता है।

राजस्व रिकार्ड में सायल की नहरी भूमि बारानी दर्ज रहने से सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है एवं राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाए बारानी के आधार पर प्राप्त होती है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद भूमि रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 11/12 के प0न0 338/440(61) के किला न0 2 ता 9 की 1.1250हैक सायल के नाम से बारानी के स्थान पर नहरी दर्ज करने के आदेश फरमावे।

प्राथ्री का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 11/12 के प0न0 338/440(61) के किला न0 2 ता 9 की 1.1250हैक नहरी भूमि है।

सायल के नाम से राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि नहरी दर्ज थी मौका पर नहरी भूमि है जिसमें सिचाई पानी लगता है एवं सिचाई विभाग में भी उक्त भूमि नहरी दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा खर्तानी में वाद भूमि नहरी दर्ज है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सहवन से वाद भूमि बारानी दर्ज है जिससे सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है सायल राजस्व रिकार्ड वर्तमान में वाद भूमि जो बारानी दर्ज है को संशोधन करवाकर नहरी दर्ज करवाना चाहता है।

राजस्व रिकार्ड में सायल की नहरी भूमि बारानी दर्ज रहने से सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है एवं राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाए बारानी के आधार पर प्राप्त होती है इसलिये सायल राजस्व रिकार्ड में बारानी के स्थान पर नहरी संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 11/12 के प0न0 338/440(61) के किला न0 2 ता 9 की 1.1250हैक भूमि सायल के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार नहरी दर्ज है

सायल का कथन है कि उसकी भूमि मौका पर नहरी है नहर का पानी लगता है सिचाई विभाग से पानी की बारी है किन्तु राजस्व रिकार्ड में बारानी दर्ज जिसे संशोधन करवाने का अधिकारी है अपने कथनों के समर्थन में सिचाई विभाग की रिपोर्ट भी पेश की गई जिसके अनुसार सायल की वाद भूमि मौके पर नहरी है प्रस्तुत पर्चा खतोनी के अनुसार भी वाद भूमि पूर्व में नहरी दर्ज थी वर्तमान में बारानी दर्ज है जिसे संशोधन करवाने का अधिकारी है

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सिचाई विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वाद भूमि मौके पर नहरी है राजस्व रिकार्ड में नहरी दर्ज करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 11/12 के प0न0 338/440(61) के किला न0 2 ता 9 की 1.1250हैक भूमि सायल के नाम राजस्व रिकार्ड में बारानी दर्ज है के स्थान पर नहरी संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19/3/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 /   दिनांक :–

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 07 / 2019 अनवानी ओमप्रकाश बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र चानणराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

सायल

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 07 / 2019 अनवानी नौरग बनाम सरकार में दिनांक 19/03/2021 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 25 डीपीएन के खाता संख्या 11 / 12 के प0न0 338 / 440(61) के किला न0 2 ता 9 की 1.1250हैक भूमि सायल के नाम राजस्व रिकार्ड में बारानी दर्ज है के स्थान पर नहरी संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)